सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 189ए / 2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. राकेश पुत्र रामरतन
2. रामलाल पुत्र हरनाथ
3. श्रवणलाल पुत्र हरनाथ
4. बन्नालाल पुत्र श्री किशन
5. केसरलाल पुत्र श्रीकिशन
6. श्रीलाल पुत्र रामकरण
7. रघुनाथ पुत्र रामकरण
8. हंसराज पुत्र रामकरण
9. सुरेश पुत्र रामलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, भू.अ. तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. कमला देवी पत्नि किशनलाल
3. रेखा पुत्री किशनलाल
4. ललिता पुत्री किशनलाल
5. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल
6. गोपाल पुत्र जगन्नाथ
7. रघुराज पुत्र श्योजी
8. गजराज पुत्र श्योजी
9. मुकेश पुत्र श्योजी
10. सतवंती पुत्री श्योजी
11. कमलेशी पुत्री श्योजी
12. सुरेशी पत्नि श्योजी
13. हेमराज पुत्र उदा
14. रामनारायण पुत्र उदा
15. नोसर पुत्री उदा
16. अमरी पत्नि पोलूराम
17. बदाम पत्नि किशनलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

अप्राथीगण

18. रामचन्द्र पुत्र श्रीकिशन
19. किशनलाल पुत्र बेदा
20. सुगनी पुत्री बेदा
21. गीला पुत्र लक्ष्मण
22. गोपाल पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति जाट निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू–राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांकः–30.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बघेरा में पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के आराजी जमाबन्दी स. 2073–76 खाता स. 399 के खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.15 है. दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। उक्त आराजीयात के पुराने खसरा न. 640 रकबा 0.15 हे. है । उक्त आराजीयात में वादीगण एंव प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा अधिकार नही है। एंव प्रार्थीगण एवं प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण के स्वामित्व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात के नक्शा संवत 2028 व मौजूदा नक्शा में काफी भिन्नता है वर्तमान नक्शें को पुराने नक्शे संवत 2028 से छोटा कर दिया है। वर्तमान नक्शे के आधार पर उक्त आराजीयात का पूरा रकबा नही बैठता है। उक्त आराजीयात की किस्म चाह है जो सिंचाई के साधन रखने के काम में चली आ रही है। उक्त आराजीयात का वर्तमान नक्शा छोटा होने से सिचाई के साधन रखने पर पडोसी खातेदारो से आये दिन विवाद की संभावना बनी रहती है। वाद ग्रस्त आराजीयात में जमाबन्दी स. 2073–76 खाता स. 399 के खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.15 है. के वर्तमान नक्शे को नक्शा संवत 2028 के अनुसार दुरूस्त किया जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में आज केम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुई । प्रार्थी स. 1 व प्रतिवादी स. 9 उप.। दौराने केम्प जवाब पेरोकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार बघेरा के गत नक्शा शुद्धिकरण के खसरा नम्बर 640 के वर्तमान खसरानम्बर 1776 बने है खसरा नम्बर 640 के नक्शे एव खसरा नम्बर 1776 के नक्शे का मिलान करने पर वर्तमान खसरा नम्बर 1775 एवं 1758 में गत खसरा नम्बर 640 की आकृति अधिक रूप से आती है। खसरा नम्बर 1775 में से 0.03 है. एवं खसरा नम्बर 1758 में से 0.10 है. रकबा कम करने पर गत खसरानम्बर 640 की आकृति का मिलान होता है। खसरा नम्बर 1775 व 1758 का रकबा भी उक्त आकृति को दुरूस्त करने पर प्रभावित नही होता है। अतः दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब सरकार एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्राईमा फेमाईस प्रकरण बनता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती वाके ग्रम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के नक्शा संवत 2028 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी स. 2073–76 खाता स. 399 के खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.15 है. में वर्तमान खसरा नम्बर 1775 का रकबा 0.03 एवं खसरा नम्बर 1758 का रकबा 0.10 है. को मिलाकर दुरूस्त किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति पृथक से पालना हेतु भिजवायी जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी